न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

प्रार्थना–पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
24	88,89, 188 RTA	आंकेडी	बारां

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
कृष्णमुरारी	बनाम	गायत्री बाई वगै0

आदेश पत्रक

वकील :– श्री ओमप्रकाश मेहता II

वकील:–

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
05.06.2024	अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, 188 आर.टी. एक्ट विरूद्व प्रतिवादी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 25.07.2024 को पेश हो।	
25-7-24	पीठासीन अधिकारी [illegible] में रहने से पूर्ववत दिनांक 17-9-24 को प्रस्तुत हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	
17-9-24	पीठासीन अधिकारी [illegible] में रहने से पूर्ववत दिनांक 5-11-24 को प्रस्तुत हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	
05/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। प्रतिवादीगण के नोटिस बाद तामील लौटे जो शा0 म0 है। प्रतिवादीगण को प्रकरण की सूचना दिनांक 25/7/24 के पूर्व ही हो चुकी है। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। आज भी अनुपस्थित है। अतः उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील वादी ने नोट प्रेस अंकित कर प्रकरण को आगे नहीं चलाये जाने हेतु निवेदन किया। चूंकी वकील वादी प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते तथा ईमी स्टेज पर डिस्ट्रारिट करवाना चाहते है। अतः हमगर प्रकरण नोट प्रेस वकील वादी के स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर के कम हो बाद तामील अग्रिमेंट के प्रविष्ट हो। आदेश सुनाया गया।	Not press O.P. Mehta Adv 5-11-24